

बिहार में राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के बांधों और बैराजों के रख-रखाव एवं सुरक्षा हेतु राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में 56 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम बनाई है।
- एसडीएसओ का गठन केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप किया गया है।
- एसडीएसओ के पास राज्य के 27 बांधों और 5 प्रमुख बैराजों के निरीक्षण, रख-रखाव एवं निगरानी की ज़िम्मेवारी होगी।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में बांधों की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिये बांध सुरक्षा अधियक, 2018 के तहत सभी राज्यों को बांधों-बैराजों की देखभाल के लिये अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाने को कहा है।
- उल्लेखनीय है कि 5,254 बड़े बांधों के साथ वर्तमान में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है।